न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्री कमलराम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 06/2018 (75 एल.आर.एक्ट)

उनवान

1. बद्री पुत्र समयनाथ योगी,
2. मुनीर पुत्र समयनाथ योगी,
3. मुंशी पुत्र समयनाथ योगी निवासीयान मांदला कला तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये पटवारी ललावण्डी तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।
2. तहसीलदार भू–अभिलेख रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... रेस्पो0

उपस्थित :–

1. श्री जनकसिंह, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :– 28.09.2018

यह अपील विद्वान अति0 जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के निर्णय दिनांक 16.05.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 02.03.2017 जिसके द्वारा अपीलांट को ग्राम मांदला कला की सरकारी बंजड़ 02 भूमि आराजी ख0 नं0 404 रकबा 1.12 है0 में से 0.85 है0 पर अवैद्य कब्जा करने का अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, शास्ती कायम करने के आदेश दिये जिसके खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई । अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर दिनांक 16.05.2018 को अपीलांट की अपील खारिज कर दी जिस निर्णय दिनांक 16.05.2018 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब की जाकर विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि तहत न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध विधि विरूद्ध तरीके से एकतरफा कार्यवाही की गई जिसकी कोई सूचना अपीलार्थीगण को नहीं दी गई जबकि अपीलार्थीगण तहत न्यायालय के समक्ष जरिये वकील समय-समय पर उपस्थित था तथा प्रत्येक पेशी पर हाजिर होकर अपनी प्रतिरक्षा करते रहे हैं । तहत न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि अपीलार्थी की प्रथम अपील के मद सं0 4 में वर्णित आराजी ख0 नं0 404 रकबा 1.12 है0 में से 0.85 है0 वाके ग्राम मादला कला पर 4 साल पूर्व से काबिज था लेकिन वक्त प्रथम अपील पेश करने के एक साल पूर्व अपीलार्थीगण ने अपना कब्जा छोड़ दिया और वर्तमान में अपीलार्थीगण का विवादित आराजी पर कोई कब्जा मौके पर नहीं था और न ही विवादित आराजी से अपीलार्थीगण का कोई वास्ता है । पटवारी हल्का ललावण्डी द्वारा गलत रिपोर्ट तहसीलदार रामगढ़ के समक्ष पेश की गई है । अपीलार्थीगण को तहसीलदार रामगढ़ द्वारा धारा 91 एल. आर.एक्ट के विरूद्ध कोई नोटिस नहीं दिया गया तथा ना ही अपीलांट को सुनवाई हेतु तलब किया गया और ना ही साक्ष्य पेश करने का कोई मौका दिया गया । अपीलार्थीगण को विवादित आराजी का पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर बेदखल किया व तीन माह के सिविल कारावास से गलत दण्डित किया गया है जबकि अपीलांट का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं था । विवादित आराजी से अपीलांट को कब बेदखल किया गया के बाबत भी पटवारी हल्का के कोई बयान नहीं है । इसलिए तहत न्यायालय ने विवादित आदेश मनमाना व कयासिया तौर पर एवं विवादित आराजी एकपक्षीय व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त योग्य है । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के हर दो निर्णय निरस्त करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने का अनुरोध किया ।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 का कथन है कि विवादित आराजी पर अपीलार्थीगण ने अवैद्य रूप से सरसों, गैहूं काश्त कर अतिक्रमण कर रखा है । अपीलार्थीगण अतिक्रमी है जिसे बेदखल किया जाना आवश्यक है । विवादित आराजी से अपीलांट का कोई संबंध व सरोकार नहीं है । हर दो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिसम्मत आदेश पारित किये गये हैं । इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जावें ।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । विवादित आराजी सिवायचक पर अतिक्रमण पाये जाने पर तहसीलदार रामगढ़ द्वारा धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए तीन माह के सिविल कारावास की सजा तथा जुर्माने से दण्डित किये जाने के आदेश पारित किये हैं ।

अपील में अति0 जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर ने तहसीलदार रामगढ़ के आदेश को यथावत रखा है ।

न्यायालय हाजा में अपील पेश होने पर तहसीलदार से अतिक्रमण व कब्जा रिपोर्ट के संबंध में रिपोर्ट मंगवायी गयी जिसके अनुसार वर्तमान में अपीलांट का विवादित आराजी पर कब्जा व अतिक्रमण नहीं है ।

उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा तहसीलदार की कब्जे संबंधी हाल रिपोर्ट दि0 15.06.2018 का अलवोकन किया गया जिसके अनुसार वर्तमान में अतिक्रमण व कब्जा अपीलांट का नहीं है । इसलिए तहत न्यायालय के

आदेश में सजा की सीमा तक आदेश निरस्त किया जाना उचित समझते हैं तथा शेष निर्णय यथावत रखा जाता है ।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है । विद्वान अति0 जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर का निर्णय दि0 16.05.2018 व तहसीलदार रामगढ़ का आदेश दिनांक 02.03.2017 सिविल कारावास की सजा की सीमा तक निरस्त किया जाता है तथा शेष निर्णय यथावत रखा जाता है । खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 28.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/9/18

(कमलराम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर